5 रु. भारत पाँच रुपये | Rs. 5 INDIA FIVE RUPEES

130

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प, सागर म0प्र0

R 4174-I-16

1- राजेन्द्र कुमार पिता श्री कशोरीलाल वधौलिया

2- विनोद कुमार पिता श्री कशोरीलाल वधौलिया

निवासी ग्राम पवई तहसील पवई जिला पन्ना म0प्र0

--- आवेदक
निगरानीकर्ता

बनाम

अनंदा पिता होरलाल चौरसिया

निवासी ग्राम पवई तहसील पवई जिला पन्ना म0प्र0 -- अनावेदक
गैर निगरानीकर्ता

निगरानी प्रकरण क्रमांक प्रस्तुत दिनांक

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959

आवेदकगण न्यायालय श्रीमान तहसीलदार पवई के राज0प्रक0 क्रमांक 03170, वर्ष 2014-15 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2016 से परिवेदित होकर नीचे लिखे आधारों एवं तथ्यों पर यह निगरानी प्रस्तुत करते हैं :-

1- यह कि, संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि अनावेदक ने मौजा पवई तहसील पवई जिला पन्ना स्थित भूमि खसरा नंबर 2859 रकबा 0-640 हेक्टेयर पर आवेदकगण से कब्जा प्राप्ति हेतु आवेदनपत्र श्रीमान तहसीलदार पवई के न्यायालय में प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदकगण को सूचनापत्र जारी किये गये। आवेदकगण द्वारा श्रीमान तहसीलदार पवई के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण प्रचलन योग्य ना होने के संबंध में आपत्ति । आवेदन इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि के अंश भाग में आवेदकगण के मकान एवं कुआ निर्मित हैं, तथा अनावेदक ने विवादित भूमि के संबंध

श्री के. एस. त्रिपाठी अधि. द्वारा प्रस्तुत
[illegible]
29-11-16

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-4174-एक/2016 जिला पन्ना

राजेन्द्र विरूद्ध अनंदी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
08-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार पवई जिला पन्ना के प्रकरण क्रमांक 3/अ-70/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 10-10-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुएं नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर पन्ना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 06-05-2019 को कलेक्टर पन्ना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । 08/3/19 (आर.के.जैन) सदस्य	